



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 202/04/2016/चयन

इन्दौर दिनांक 26 मई, 2017

विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा – 2015

चयन – सूची

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015 दिनांक 31.03.2015, शुद्धिपत्र क्र.-01/02/चयन/2015 दिनांक 29.04.2015 के अंतर्गत निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेषज्ञ आयुर्वेद ऑनलाईन परीक्षा – 2015 दिनांक 19.02.2017 को आयोजित की गई थी। जिसका लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 24.03.2017 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 16.05.2017 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप, आवेदकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची घोषित की जाती है :-

1 विशेषज्ञ आयुर्वेद

1 विशेषज्ञ आयुर्वेद

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	4	1	2	1	8
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	1	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	AY100068	NARENDRA SINGH LODHI	M	UNR	OBC
2	AY100050	SHASHANK JHA	M	UNR	GEN
3	AY100060	VIPINKUMAR SINGH TOMAR	M	UNR	GEN
4	AY100043	PRACHI DALVI KAWTHEKAR	F	UNRF	GEN
5	AY100067	OBED AHMED ANSARI	M	OBC	OBC
6	AY100006	PRIYANKA DHURVEY	F	ST	ST
7	AY100056	SHEETAL KUMAR SOLANKI	M	ST	ST
8	AY100075	RACHNA BUNKAR	F	SC	SC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	AY100038	NEELIMA SINGH	F	GEN
2	AY100019	RASHMI SHARMA	F	GEN
3	AY100026	MANEESH NEMA	M	GEN
4	AY100071	ANIL VERMA	M	OBC
5	AY100023	VIJENDRA SINGH MANDLOI	M	ST

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में उनके द्वारा दी गई अग्रमान्यता के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/384/एफ/850/1/3/08 भोपाल, दिनांक 28.08.1998 में दिये निर्देशों के तहत राज्य शासन की सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यही है कि जो भी महिलायें चयनित हो उनको 30 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध गिना जायेगा" इसी प्रकार म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/111/1817/2006/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29.01.2007 में उल्लेखित मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....होरिजेण्टल आरक्षण में उन उम्मीदवारों की भी गणना की जाती है जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं। यदि प्रवर्गवार सामान्य चयनित सूची में निःशक्तजन/महिलाएं/भूतपूर्व सैनिक (जिनके लिये होरिजेण्टल आरक्षण है) शामिल न हो तो आरक्षण का लाभ देते हुए "सामान्य कट आफ मार्क्स" के नीचे से चयन करते हुए निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति की जानी चाहिए"
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(वंदना वैद्य)

प्रभारी सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर